रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082025-265661
CG-DL-E-23082025-265661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 525] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 569(अ).— केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के संबंध में भारत के राजपत्र में दिनांक 30 मई, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ.2504 (अ) के अधिक्रमण में निम्नलिखित अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है;

और जबकि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के सम्मेलन में वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं;

भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पक्षकार देश है और इस कन्वेंशन का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके;

और जहां, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन का अनुसमर्थन किया है और वर्ष 2004 में राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण (एनसीडीएमए) का गठन किया है;

और जहां, भारत ने विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समान और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबद्ध क्षमताओं के सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया है;

और जहां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पेरिस समझौते के पक्षकारों द्वारा अपने-अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की हैं;

और जहां, पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत पक्षकारों के सम्मेलन की तीसरी बैठक ने स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने-अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को कार्यान्वित करने में देशों की सहायता के लिए एकीकृत, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत बाजार और गैर-बाजार आधारित व्यवस्था को अपनाया;

और जहां, पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत पक्षकारों के सम्मेलन ने निर्णय लिया था कि उक्त समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत इस व्यस्था में भाग लेने वाले पक्षकार देश एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना करेंगे तथा उस नामांकन की सूचना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सचिवालय को देंगे।

और जहां, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण मेजबान पक्ष की जिम्मेदारी निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मेजबान पक्ष पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की व्यवस्था के तहत परियोजनाओं का आकलन, अनुमोदन और प्राधिकरण करके सतत विकास और पर्यावरण अखंडता प्राप्त कर रहा है;

और जबकि, राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण मेजबान पक्ष की जिम्मेदारी निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मेजबान पक्षकार देश पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में की गई व्यवस्था के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन और प्राधिकृत करके सतत विकास और पर्यावरण अखंडता प्राप्त कर रहा है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:

1. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष;
2. अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
3. संयुक्त सचिव, जलवायु परिवर्तन प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
4. विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
5. आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
6. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
7. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
8. विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
9. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
11. नीति आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य;

12. आर्थिक सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
13. इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
14. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
15. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
16. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य;
17. नेटकॉम के प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
18. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतिनिधि	सदस्य;
19. निदेशक, जलवायु परिवर्तन प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
20. जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन से संबंधित प्रभागीय प्रमुख, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य;
21. कार्बन बाजारों के प्रभारी संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सचिव सदस्य

2. राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगा, अर्थात:-

i. पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत पक्षकारों के सम्मेलन के निर्णय के आधार पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित मामलों के संबंध में निर्देश जारी करना;

ii. केंद्र सरकार को उन कार्यकलापों की सूची की सिफारिश करना जिन पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत परियोजनाओं से उत्सर्जन में कमी करने वाली इकाइयों के व्यापार के लिए विचार किया जा सकता है और राष्ट्रीय संधारणीय लक्ष्यों, देश-विशिष्ट मानदंडों और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उन्हें संशोधित करना;

iii. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत सहायक निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत पक्षकारों के सम्मेलन और किसी भी देश विशिष्ट मानदंड के अतिरिक्त, अनुच्छेद 6 से संबंधित प्रासंगिक नियमों और तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं में निर्धारित दिशा-निर्देशों और सामान्य मानदंडों के अनुसार अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 तंत्रों के अंतर्गत परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में मेजबान पक्ष द्वारा मूल्यांकन, अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए परियोजनाएं या गतिविधियां प्राप्त करना;

iv. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्राप्ति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपशमन उद्देश्य के लिए परियोजनाओं से उत्सर्जन कटौती इकाइयों के उपयोग को अधिकृत करना, और संबंधित समायोजन लागू करना तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पर्यवेक्षी निकाय या सहायक निकाय को इन इकाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करना;

v. इन परियोजनाओं के अंतिम सफल कार्यान्वयन की संभावना का आकलन करना तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि परियोजनाएं किस सीमा तक राष्ट्रीय संधारणीय विकास उद्देश्यों को पूरा करती हैं, तथा राष्ट्रीय संधारणीय विकास और अन्य प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता देना;

vi. यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त आवश्यकता की सिफारिश करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित परियोजनाएं राष्ट्रीय सतत विकास, देश विशिष्ट मानदंडों और अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करें और राष्ट्रीय कानूनी

ढांचे का अनुपालन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुकूल हैं और हितधारकों से विधिवत परामर्श किया गया है;

vii. सुनिश्चित करें कि निवेश के एक ही स्रोत के लिए एक से अधिक प्रस्तावों प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, उच्चतर सतत विकास लाभ वाली परियोजनाओं, तथा जिनके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है, को उच्चतर प्राथमिकता दी जाए;

viii. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार परियोजनाओं के प्रस्तावों का तकनीकी, वित्तीय और सतत विकास लाभ मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त सिफारिशें करना;

ix. भारतीय कार्बन बाजार के प्रशासक के माध्यम से अनुमोदित अनुच्छेद 6 परियोजनाओं और उनके उत्सर्जन में कमी की एक रजिस्ट्री का रख-रखाव करना।

x. सुनिश्चित करें कि 2020 से पूर्व स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं से पात्र प्रमाणित उत्सर्जन कटौती को स्थानांतरित किया जाए और साथ ही अनुच्छेद 6.4 उत्सर्जन कटौती इकाइयों के तहत नए मुद्दों को रजिस्ट्री में शामिल किया जाए और उनका रखरखाव किया जाए;

xi. अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 तंत्रों के लिए विकसित मार्गदर्शन दस्तावेजों की सिफारिश केंद्र सरकार को करना;

xii. यह सुनिश्चित करना कि परियोजना विकासकों के पास अनुच्छेद 6 तंत्र के सभी प्रासंगिक पहलुओं से संबंधित विश्वसनीय जानकारी हो, जिसमें अनुच्छेद 6 प्रस्तावों के सत्यापन, परियोजना प्रस्तावकों से प्रस्तावों के लिए टेम्पलेट्स, और भारतीय कार्बन मार्केट पोर्टल के माध्यम से परियोजना गतिविधियों की निगरानी और सत्यापन जैसी गतिविधियों को करने के लिए नामित संगठन पर डेटाबेस का निर्माण शामिल है;

xiii. भारत में आयोजित परियोजना कार्य के विभिन्न चरणों में एकत्रित किए जाने वाले शुल्क को अनुमोदन प्रदान करना तथा ऐसे शुल्क के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों का निर्धारण करना, जिसका उपयोग अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा;

xiv. राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उप-समितियां, कार्यकारी समूह, तकनीकी समूह और अन्य समूह स्थापित करना। यदि प्रयोज्य हो, तो पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार किया जाएगा;

xv. तकनीकी और व्यावसायिक इनपुट के लिए आवश्यकतानुसार सरकार, वित्तीय संस्थाओं, परामर्शदायी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, कानूनी कार्य, उद्योग और वाणिज्य आदि से अधिकारियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करना तथा आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी शामिल करना;

xvi. परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तथा मेजबान देश से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों संबंधी दिशा-निर्देशों की केन्द्र सरकार को अनुशंसा करना;

xvii. यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुरूप हो;

xviii. पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.8 गैर-बाज़ारीय पद्धतियों से संबंधित मामलों पर विचार करना; और

xix. केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कतिपय अन्य कार्य।

3. राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का सदस्य-सचिव राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

4. राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के सदस्य-सचिव अपने कार्यकलापों से संबंधित रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो पेरिस करार के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे ।

[फा. सं. सीसी-13008/238/2022-सीसी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

G.S.R. 569(E).— Whereas, the Central Government proposes to issue the following notification in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in supersession of the notification published in the Gazette of India vide S.O.2504(E) dated the 30th May, 2022, regarding the National Designated Authority for the Implementation of article 6 of Paris Agreement;

And whereas significant enhancements have been introduced during the negotiations at the Conference of Parties to ensure effective operationalization of Article 6 mechanisms of the Paris Agreement;

Whereas, India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the objective of the Convention is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

And whereas, India has ratified the Kyoto Protocol and the Doha Amendment to the Kyoto Protocol under the United Nations Framework Convention on Climate Change and constituted the National Clean Development Mechanism Authority (NCDMA) in the year 2004;

And whereas, India has ratified the Paris Agreement for implementation of the Convention in accordance with the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances;

And whereas, the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change has established mechanisms to achieve their greenhouse gas emission reduction goals by the parties with their respective Nationally Determined Contributions;

And whereas, the third meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement adopted market and non-market mechanisms under Article 6 of the Paris Agreement to promote integrated, holistic and balanced approaches to assist countries for implementing their respective Nationally Determined Contributions through voluntary international cooperation;

And whereas, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement decided that Parties participating in the mechanisms under Article 6 of the said agreement shall setup a National Designated

Authority and communicate that designation to the United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat.

And whereas, the National Designated Authority will carry out host Party responsibility and ensure that the host Party is achieving sustainable development and environment integrity by evaluating, approving and authorising projects under Article 6 mechanisms of the Paris Agreement;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute a National Designated Authority for the implementation of Article 6 of the Paris Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the National Designated Authority for the Implementation of article 6 of Paris Agreement consisting of the following persons, namely: -

1.	Secretary, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change	**Chairperson;**
2.	Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member;**
3.	Joint Secretary, Climate Change Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member;**
4.	Representative of the Ministry of External Affairs	**Member;**
5.	Representative of the Department of Economic Affairs	**Member;**
6.	Representative of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade	**Member;**
7.	Representative of the Ministry of New and Renewable Energy	**Member;**
8.	Representative of the Ministry of Power	**Member;**
9.	Representative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	**Member;**
10.	Representative of the Ministry of Science and Technology	**Member;**
11.	Representative of NITI Aayog	**Member;**
12.	Economic Adviser, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member;**
13.	Representative of Ministry of Steel	**Member;**
14.	Representative of Ministry of Ports, Shipping and Waterways	**Member;**
15.	Representative of Ministry of Civil Aviation	**Member;**
16.	Representative of Ministry of Petroleum and Natural Gas	**Member;**
17.	Representative of NATCOM, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member;**
18.	Representative of Bureau of Energy Efficiency	**Member;**
19.	Director, Climate Change Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member-;**
20.	Divisional Head dealing climate change and adaptation, Ministry of Environment, |Forest and Climate Change	**Member**
21.	Joint Secretary in-charge of the carbon markets, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	**Member Secretary**

2. The National Designated Authority shall exercise and perform the following powers and functions, namely: -

i. issue directions with respect to the matters relating to Article 6 of the Paris Agreement based on the decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement;

ii. recommend to the Central Government the list of activities that can be considered for the trading of emission reduction units from projects under Article 6.2 and Article 6.4 of the Paris Agreement and modify them from time to time keeping in view national sustainable goals, country specific criteria and other national priorities;

iii. receive projects or activities for evaluation, approval and authorization by the host Party at various stages of the project cycle under Article 6.2 and Article 6.4 mechanisms as per the guidelines and general criteria laid down in the relevant rules and modalities and procedures pertaining to Article 6, in addition to guidelines issued by the subsidiary body under the United Nations Framework Convention on Climate Change, and Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement and any country specific criteria;

iv. authorise the use of emission reduction units from projects for use towards achievement of Nationally Determined Contributions and for other international mitigation purpose, and apply the corresponding

adjustment and furnish information regarding these units to the Supervisory Body or Subsidiary Body under the United Nations Framework Convention on Climate Change;

v. assess the likelihood of eventual successful implementation of these projects and evaluation of the extent to which the projects meet national sustainable development objective and it shall prioritise projects in accordance with national sustainable development, and other priorities;

vi. recommend additional requirement, if necessary, to ensure that the proposed projects to meet national sustainable development, country specific criteria and other priorities and comply with the national legal framework so as to ensure that the projects are compatible with local priorities and stakeholders have been duly consulted;

vii. ensure that in the event of more than one proposal competing for the same source of investment, projects with higher sustainable development benefits, and which are most likely to succeed are accorded higher priority;

viii. undertake technical, financial and sustainable development benefits evaluation of proposals for projects, in accordance with principles approved by the Government of India and make suitable recommendations;

ix. maintain a registry of approved Article 6 projects and their emission reductions through the administrator of Indian Carbon Market;

x. Ensure that eligible Certified Emission Reduction from pre-2020 Clean Development Mechanism projects are transitioned as well as new issues under Article 6.4 emission reduction units are captured and maintained in the registry;

xi. recommend to the Central Government the guidance documents developed for Article 6.2 and article 6.4 mechanisms;

xii. ensure that project developers have reliable information relating to all relevant aspects of Article 6 mechanisms including through the creation of databases on organisation designated for carrying out activities like validation of Article 6 proposals, templates for proposals from project proponents, and monitoring and verification of project activities through Indian Carbon Market portal;

xiii. approve fee to be collected at various stages of the project activity hosted in India and prescribe guidelines for use of such fee which will be utilised in accordance with the guidelines approved;

xiv. establish sub-committees, working groups, technical groups and any other groups or committees to support the National Designated Authority, as it may deem necessary. Remuneration, if applicable, will be paid as per General Financial rules 2017, as amended from time to time;

xv. to invite officials and experts from Government, financial institutions, consultancy organisations, non-governmental organisations, civil society, legal profession, industry, and commerce, etc., as it may deem necessary for technical and professional inputs, and may co-opt other members depending upon need;

xvi. to recommend guidelines to the Central Government for consideration of projects and principles to be followed for according host country approval;

xvii. ensure that the implementation of projects is in line with the principles approved by the Government of India;

xviii. consider matters related to Article 6.8 Non-Market Approaches of the Paris Agreement; and

xix. any other functions assigned to it by the Central Government.

3. The Member-Secretary of the National Designated Authority shall be responsible for day-to-day activities of the National Designated Authority.

4. The Member-Secretary of the National Designated Authority shall furnish reports about its activities to the Apex Committee for the Implementation of Paris Agreement and the Central Government as the case may be.

[F. No. CC-13008/238/2022-CC]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.23 16:53:38 +05'30'